न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 146/2020 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2020/00314
दायर दिनांक :– 18.11.2020 निर्णय दिनांक :– 28.03.2025

1. यार मोहम्मद पुत्र कादर खां जाति मुसलमान निवासी खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
2. दूर मोहम्मद पुत्र कादखां जाति मुसलमान निवासी खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. सुभान खां पुत्र कादर खां जाति मुसलमान निवासी खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
2. शेराराम पुत्र गोमदराम जाति जाट निवासी खाजूसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. लुकमदीन पुत्र कादर खां जाति मुसलमान निवासी खाजूसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की और से

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने एक नियमित राजस्व वाद विभाजन एवं जारी करवाने स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया है प्रार्थीगण का वाद अभिवचन एवं दस्तावेजात के अधार पर प्रथम दृष्टयां साबित है एवं प्रार्थीगण को वाद में सफलता मिलने की शत प्रतिशत उम्मीद है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की अलग–अलग संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 208 रकबा 32–08 बीघा ग्राम खाजूसर तथा खसरा नम्बर 687/1 रकबा 48–16 बीघा ग्राम घंटियाली में स्थित है। प्रार्थीगण अपने हिस्से क काश्त भूमि काबिज है और उसे खाद इत्यादि से उपजाउ व किमती बनाया है। प्रार्थीगण दिनांक 10.11.2020 को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 मिलकर उक्त हिस्से माफिक वादग्रस्त भूमि का विधिवत बंटवाड़ा विलेख निष्पादित करने का निवेदन किया गया तो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 ने इंकार कर दिया प्रार्थीगण के कब्जा व हिस्सा की भूमि अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने या बलपूर्वक निर्माण कार्य कर बंटवाड़ा को विफल कर प्रार्थीगण को उनके जायज हिस्से की भूमि से बलपूर्वक बेदखल करने की धमकी दी अप्रार्थी यदि ऐसा करने में कामयाब हो जो जाते है तो अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन व क्षतिपूर्ति कभी भी संभव नहीं है। इसलिये प्रार्थीगण अपनी काश्त भूमि में अपने हिस्से का बंटवाड़ा करवाने एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है जिसका यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है।

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 व 2 की और से अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी की राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य वादग्रस्त भूमि को लेकर विभाजन का वाद विचाराधीन है। वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक खातेदार का इंच इंच पर कब्जा है इसका निर्धारण मूल वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर तय किया जाना है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम खाजूसर तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 208 रकबा 32–08 बीघा तथा ग्राम घंटियाली के खसरा नम्बर 687/6 रकबा 48–16 बीघा भूमि में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि में दखलअंदाजी न करे व मौके तथा राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

28/3/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)